



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062023-246828
CG-DL-E-27062023-246828

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371]
No. 371]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2023/आषाढ़ 6, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2023/ASHADHA 6, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2023

सं. 17/2023-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 460(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 39 की उप-धारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, धारा 39 की उप-धारा (1) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (1) के खंड (i) के तहत विवरणी प्रस्तुत करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके कारोबार का मूल स्थान गुजरात राज्य में कच्छ, जामनगर, मोरबी, पाटन और बनासकांठा जिले में है, के लिए माह मई, 2023 की प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को जून, 2023 के तीसवें दिन तक विस्तारित करते हैं।

2. यह अधिसूचना 20 जून, 2023 से प्रभावी मानी जाएगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/16/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक